निवेशक सुरक्षा यूनिट

यूनिट के बारे में

निवेशक सुरक्षा यूनिट (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यूनिट, “IPU”) डेलावेयर न्याय विभाग के धोखाधड़ी और उपभोक्ता संरक्षण प्रभाग में एक यूनिट है। IPU को पहले डेलावेयर सिक्योरिटीज यूनिट के नाम से जाना जाता था। IPU डेलावेयर सिक्योरिटीज एक्ट के प्रावधानों और अधिनियम के अनुसार नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें डेलावेयर में निवेश फर्मों और पेशेवरों के साथ-साथ प्रतिभूतियों की पेशकश को पंजीकृत करना, निवेशकों की शिकायतों की समीक्षा और जाँच करना, निवेश सलाहकारों और ब्रोकर डीलरों की जाँच करना, अधिनियम के उल्लंघन का खुलासा होने पर प्रवर्तन कार्रवाई करना और निवेशक शिक्षा और आउटरीच का संचालन करना शामिल है।

सहायक संसाधन

- निवेशकों के लिए
- प्रशासनिक आदेश
- नियम, विनियम और अनुपालन सामग्री

- उद्योग के पेशेवरों के लिए
- निवेशक शिकायत दर्ज करें
- वरिष्ठों के शोषण की रिपोर्ट करें

- प्रेस रिलीज
- आदेश — कोविड-19 महामारी से प्रभावित रजिस्ट्रार को अस्थायी राहत देना

निवेशक सुरक्षा यूनिट से संपर्क करें

पता:

डेलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
निवेशक सुरक्षा यूनिट

कारवेल स्टेट ऑफिस बिल्डिंग - पाँचवीं मंजिल
820 N. फ़्रेंच स्ट्रीट
विलमिंगटन, DE 19801

ईमेल: Investor.Protection@delaware.gov

फ़ोन: (302) 577-8424

घंटे: सोम से शुक्र सुबह 8:00 बजे से शाम 4:30 बजे